न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 28/2016

1. गुरसीरत सिंह } पिसरान जितेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 क्यू बख्ताना
2. अमितेश्वरसिंह } तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. मलकीयतसिंह पुत्र दिवानसिंह जाति जटसिख निवासी चक 14 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र मलकीयतसिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम जवाहर नगर श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजेश कुमार गुम्बर अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री अनिल कुमार बिश्नोई अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 व 2

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 08.04.2017

वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का दादा है, तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण का पिता है। प्रतिवादी संख्या 1 को अपनें पूर्वजो से चक 14 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66/67 मुरब्बा नम्बर 26, 27 की कुल 5.594 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 को चक 14 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 42/27 60 मुरब्बा नम्बर 25, 26, 27 की कुल 9.654 हैक्टर कृषि भूमि मिली हुई है। जो कि इनके नाम से खातेदारी दर्ज है, जमाबन्दी की नकले शामिल है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि करीब 85 साल का है काफी वृद्ध होने से काश्त करनें में असमर्थ है, जिसकी सेवा सुश्रा वादीगण करते आ रहे है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 नें अपने नाम से दर्ज उपरोक्त आराजी काफी समय से वादीगण को दे रखी है।

प्रतिवादी संख्या 2 नें पारिवारिक समझौता से अपनी स्वेच्छा से अन्य जद्दी जायदाद मकान नम्बर 5 एम जवाहर नगर श्रीगंगानगर निर्मितशुद्धा प्राप्त कर रखा है तथा उसी मे ही निवास कर रहा है इस कारण अपनें नाम दर्ज उपरोक्त आराजी खाता संख्या 42/27 की 9.464 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा वादीगण को दे रखा है।

प्रतिवादीगण द्वारा कुछ साल पूर्व सम्पति को लेकर विवाद पैदा होनें पर तथा पंचायत होनें पर पारिवारिक समझौता करते हुए वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित अराजी जद्दी जायदाद होंने तथा इसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा होनें प्रतिवादी संख्या 1 काश्त कर पानें में असमर्थ होनें तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपनी स्वेच्छा से अनय सम्पत्ति प्राप्त कर ली होनें से अपनें नाम दर्ज उपरोक्त अराजी खाता संख्या 42/27 की 9.464 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा वादीगण को पारिवारिक समझौता में अपनी स्वेच्छा से दी गई तब से आज तक वादीगण काबिज चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

वादीगण द्वारा अपनें कब्जा काश्त की उपरोक्त आराजी में भारी मेहनत व रूपया लगानें से ना केवल सुधार किया गया है बल्कि काफी ऊपजाउ बन गई है एवम् वादीगण एवम् उनके परिवार का जीवन निर्वाह इसी आराजी पर निर्भर है।

अब प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आया हुआ है, तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि उनके नाम से दर्ज होनें का अनुचित लाभ उठाकर लालच के वशीभूत होकर आराजी को मुन्तकिल करनें की कोशिश में है, यदि वह इसमें सफल हो जाते है, तथा वादीगण को जबरन बेदखल कर देते है, तो वादीगण को ना पूरा होनें वाला नुकसान होगा। अतः दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया गया कि चक 14 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66/67 मुरब्बा नम्बर 26 की 2.658 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 27 की 2.886 हैक्टर कुल 5.594 हैक्टर खाता संख्या 42/27,60 मुरब्बा नम्बर 25 की 6.075 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 26 की 0.228 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 27 की बाग 2.860 हैक्टर खाला 0.176 हैक्टर कुल 9.464 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार हकदार मानकर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से दर्ज करवाये मग रवह लालचवश होनें से टालमटोल करते हुए दिनांक 05.02.2017 को साफ इन्कारी है। जो कि यहि बिनाय मुखास्मत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 3 को लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है अतः पक्षकार बनाया गया है। अतः दावा वादीगण पेश कर अर्ज है, कि वाद वादीगण, बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 14 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66/67 मुरब्बा नम्बर 26, 27 की कुल 5.594 हैक्टर सालम का वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे।
2. चक 14 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 42/27, 60 मुरब्बा नम्बर 25, 26, 27 की कुल 9.464 हैक्टर के 1/3 हिस्सा का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित करनें तथा राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज करनें लगान मामला कायम करनें के आदेश फरमाया जावे।
3. खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 03.04.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पहचान श्री अनिल कुमार बिश्नोई अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान में आपस मे राजीनामा हो गया है। एवम् लोक अदालत की भावना से एवम् राजीनामा के आधारा पर निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते है :–

1. चक 14 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66/67 के मुरब्बा नम्बर 26 व 27 की कुल 5.594 हैक्टर सालम जो कि द्वितीय पक्षकार मलकीतसिह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है को प्रथम पक्षकारान (वादीगण) के नाम से बराबर बराबर खातेदारी घोषित की जावे।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

2. चक 14 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 42/27, 60 मुरब्बा नम्बर 25, 26, 27 की कुल 9.464 हैक्टर कृषि भूमि जो कि द्वितीय पक्षकारान जितेन्द्रसिंह (प्रतिवादी संख्या 2) के नाम से खातेदारी दर्ज है को 1/3 हिस्सा प्रथम पक्षकारान (वादीगण) को बहिस्सा बराबर खातेदारी घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करनें का आदेश फरमाया जावे।

प्रथम पक्षकारान (वादीगण) का अनुतोष ही वाद पत्र में यही है अर्थात वाद वादी प्रथम पक्षकारान के हक मे डिक्री किया जाता है, तो द्वितीय पक्षकारान (प्रतिवादीगण) को कोई भी एतराज नहीं है।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, उभयपक्ष की बहस सुनी गई दौरानें वाद पत्र एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि उभयपक्ष में राजीनामा होने के कारण वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत राजीनामा अनुसार वाद वर्णित भूमि चक 14 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66/67 मुरब्बा नम्बर 26, 27 की कुल 5.594 हैक्टर तथा खाता संख्या 42/27 60 मुरब्बा नम्बर 25, 26, 27 की कुल 9.654 हैक्टर कृषि भूमि में राजीनामा अनुसार वादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :—

1. चक 14 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66/67 के मुरब्बा नम्बर 26 व 27 की कुल 5.594 हैक्टर सालम जो कि द्वितीय पक्षकार मलकीतसिह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है को प्रथम पक्षकारान वादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है
2. चक 14 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 42/27, 60 मुरब्बा नम्बर 25, 26, 27 की कुल 9.464 हैक्टर कृषि भूमि जो कि द्वितीय पक्षकारान जितेन्द्रसिंह (प्रतिवादी संख्या 2) के नाम से खातेदारी दर्ज है को प्रथम पक्षकारान वादी संख्या 1 व 2 तथा व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3—1/3 बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)